मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश

कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग लखनऊ–2260005

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्या:–34 प्रोवेशन–6/147/2020 दिनांक–18 अक्टूबर, 2019

विषयः– कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों की शासनादेश दिनांक–01.08.2018 के अन्तर्गत समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–564/2018/1106/ 22–2–18–7जी/2018 दिनांक–01.अगस्त, 2018 द्वारा स्थायी नीति निर्धारित की गयी है, जिसकी प्रति पूर्व में ही आपको प्रेषित की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्धारित स्थायी नीति में स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये हैं तथा प्रस्तर–3 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले बंदियों को रिहाई हेतु पात्र न होने का उल्लेख है। अतः आपसे अपेक्षित है कि शासनादेश दिनांक–01.08.2018 में उल्लिखित प्रस्तरों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हुए पात्रता की श्रेणी में आने वाले सभी बंदियों का विवरण तैयार कर शासनादेश दिनांक–01.08.2018 द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धित श्रेणी से सम्बन्धित बंदियों को छोड़ते हुये पात्र बंदियों का रिहाई प्रस्ताव/विवरण आदि भेजा जाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाए कि शासनादेश के अन्तर्गत रिहाई हेतु पात्र किसी भी बंदी का नाम छूटा नहीं है एवं किसी भी प्रतिबंधित श्रेणी के बंदी का नाम इसमें सम्मिलित नहीं है।

3. यह भी स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत प्रकरण में बंदियों की रिहाई हेतु समयबद्ध रूप से कार्यवाही अपेक्षित है, जिसमें कारागार स्तर से पात्र समस्त बंदियों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर उनकी समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार को 31 अक्टूबर तक उपलब्ध कराया जाना है तथा परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार समस्त प्रस्तावों का नीति के आलोक में विधिवत परीक्षण कर प्रस्ताव/विवरण दिनांक–15 नवम्बर तक कारागार मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें। कारागार मुख्यालय द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुये शासन को 30 नवम्बर तक प्रस्ताव/विवरण प्रेषित किया जाना है। यह प्रकरण अति महत्वपूर्ण है, जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बंदियों की रिहाई की पात्रता से सम्बन्धित समस्त

अभिलेखों का सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण करते हुये शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जाना है। अतः तद्नुसार समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

4. शासनादेश दिनांक–01.08.2018 के प्रस्तर–3 के उपनियम–(vii) में जेल मैनुअल प्रस्तर–814 एवं 815 के अन्तर्गत दण्डित बंदियों को अपात्र माना गया है। इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तर–815 के अन्तर्गत बंदियों को दिये गये वृहद जेल दण्ड की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी महानिरीक्षक कारागार से प्राप्त कर ली गयी है।

5. प्रस्ताव के साथ बंदी से सम्बन्धित समस्त न्यायालयों के निर्णय की पठनीय प्रतियॉ अवश्य प्रेषित की जायें।

6. प्रस्ताव के साथ बंदी के सह अभियुक्तों का विवरण, जिसमें सह अभियुक्तों की उम्र, सजा (अपरिहार/सपरिहार), स्वास्थ्य की दशा, वर्तमान निरूद्धि की कारागार का उल्लेख हो एवं यदि सह अभियुक्त रिहा हो चुका है तो रिहाई आदेश की प्रति भी प्रेषित की जाये।

7. यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत शासनादेश दिनांक–01.08.2018 के प्रस्तर–3(v) में संघीय सरकार की कार्यपालिका की शक्ति के अधीन दण्डित बंदियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों के अधीन कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। कृपया ऐसे मामलों में अत्यन्त सावधानीपूर्वक परीक्षण करते हुये ही प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की उदासीनता/लापरवाही के कारण नियम विरूद्ध प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है अथवा गलत सूचनाओं व अभिलेखों के कारण त्रुटिपूर्ण रिहाई की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

18/10/15

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।